न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 2855–एक/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–8–14 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला भिण्ड प्रकरण कमांक 79/13–14.

———

रामबहादुर सिंह पुत्र श्री सिंहवीर सिंह ठाकुर,
निवासी अटेर रोड, तहसील व
तहसील व जिला भिण्ड म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

1– म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर, जिला भिण्ड

2– संजय शर्मा आदि समस्त न्यासी एवं पदाधिकारी
मंदिर श्री बडे हनुमान जी बाग
तहसील व जिला भिण्ड म.प्र. ——— अनावेदकगण

———

श्री आर. डी. शर्मा, अधिवक्ता, आवेदक.
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता, अनावेदक क. 1.
श्री दिवाकर दीक्षित, अधिवक्ता, अनावेदक क. 2.

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 05 जून, 2015 को पारित)

———

यह निगरानी कलेक्टर, जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण कमांक 82/13–14/स्व. निग. में पारित आदेश दिनांक 4–8–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है '।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 2 संजय शर्मा आदि पदाधिकारी ट्रस्ट मंदिर श्री बड़े हनुमान जी नबादा बाग भिण्ड द्वारा उच्च न्यायालय, खंडपीठ ग्वालियर में दायर जनहित याचिका कमांक 5575/2008 में पारित आदेश दिनांक 22–2–10 के परिपालन में इस आशय का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया कि मंदिर से लगी भूमि को अवैधानिक तरीके विकय कर शासकीय भूमि खुर्द–बुर्द की गई है, उक्त की जांच कर प्रश्नाधीन भूमि पुनः

मंदिर की घोषित की जाये । उक्त आवेदन पर से कलेक्टर द्वारा तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी से प्रतिवेदन जांच गया । जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में वर्ष 1952 के राजस्व रिकार्ड में भूमि सर्वे नं. 725, 726, 727, 728, 729 एवं 731 को मिलिकियत सरकार दर्ज होने का उल्लेख किया गया तथा यह कहा गया कि वादग्रस्त भूमि पर अनाधिकृत तरीके से कूट रचित योजना के तहत पक्का कृषक अंकित होकर प्रश्नाधीन भूमि का अंतरण पश्चातवर्ती विक्रयपत्रों के आधार पर किए जाने के फलस्वरूप विवादित आदेश को स्वमेव निगरानी में लिए जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया । उक्त प्रस्ताव पर से कलेक्टर द्वारा संहिता की धारा 50 के तहत प्रकरण विचारण किये जाने हेतु ग्राह्य किया गया तथा आवेदिका को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया गया तदपुरांत कलेक्टर द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि विरूद्ध और नियमानुकूल न होने के कारण अपास्त किया जाकर तहसीलदार, भिण्ड को निर्देश दिए गए कि वे राजस्व रिकार्ड अद्यतन करें । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उद्धरित किए गए हैं । मौखिक तर्कों के अतिरिक्त उनके द्वारा लिखित बहस भी पेश की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 शासन एवं अनावेदक कमांक 2 की ओर से तर्क दिया गया कि प्रश्नाधीन भूमि मंदिर की भूमि है, जिसे अवैधानिक तरीके से खुर्दबुर्द किया जाकर विक्रय किया गया है । कलेक्टर ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का विस्तार से उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया गया है जिसे स्थिर रखा जाना चाहिए ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण में अनावेदक कमांक 2 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, ग्वालियर में दायर याचिका कमांक 5575/2008 में पारित आदेश दिनांक 22–2–10 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । आवेदन में अनावेदकों द्वारा मंदिर से लगी हुई प्रश्नाधीन भूमियों को अवैधानिक तरीके से विक्रय किए जाने की जांच कर भूमि को मंदिर की घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन पर से कलेक्टर ने तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी से जांच कराई जाकर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया और जांच अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण स्वमेव निगरानी

में लिया जाकर आलोच्य आदेश पारित किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए कलेक्टर का जो आलोच्य आदेश है वह न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि कलेक्टर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत जाकर प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का विधिवत अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया है प्रभावित व्यक्ति जिनका नाम राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में अंकित है उन्हें ना तो सुनवाई का कोई विधिवत अवसर दिया गया है और ना ही साक्ष्य प्रस्तत करने का कोई अवसर दिया गया है तथा उक्त आदेश अभिलेख तलब किए बिना पारित किया गया है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में निकाले गये निष्कर्ष मात्र अधीनस्थ अधिकारियों के प्रतिवेदनों पर आधारित हैं लेकिन इन प्रतिवेदनों को साक्ष्य से साबित नहीं कराया गया है इस कारण वे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है ।

6/ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में बाबा भगवतदास एवं बाबा गणेशदास की संवत 1999 में राजस्व अभिलेख की प्रविष्टि के विषय में जो निष्कर्ष निकाला है वह त्रुटिपूर्ण है क्योंकि अभिलेख में जो दस्तावेज संलग्न हैं उनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खसरा संवत 1999 के कॉलम नं. 6 मालिक के कॉलम में मानसिंह का नाम दर्ज है तथा कॉलम नंबर 12 में भगवतदारा गुरू जानकीदास गैर मौरूसी मुद्दत 4 वर्ष दर्ज है । ये प्रविष्टियां कानून माल की दफा 343 के अधीन समझी जायेंगी । इन प्रविष्टियों को धारा 343 के तहत गलत साबित नहीं किया गया है और ना ही धारा 344 के अधीन संवत 1999 से कभी आक्षेपित किया गया है । संवत 2007 सन् 1950 में मध्यभारत भू–आगम कृषकाधिकार विधान प्रवृत्त हुआ इस विधान की धारा 54 (सात) के अधीन गैर मौरूसी विधि के प्रभाव से पक्का कृषक तथा संहिता के प्रवृत्त होने पर संहिता की धारा 158(1) एवं ख के अधीन विधि के प्रभाव से भूमिस्वामी हो गये । तद्नुसार प्र0क0 117/60/116/12 में पारित आदेश दिनांक 31–7–1961 द्वाराबाबा गणेश दास बैरागी का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किया गया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में जो निष्कर्ष निकाले गये हैं वे त्रुटिपूर्ण हैं ।

7/ अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि मंदिर की भूमि का खसरा कमांक 730 है विवादित अन्य सर्वे नंबरों की भूमियां मंदिर या औकाफ विभाग की नहीं है और ना ही आलोच्य आदेश में इस विषय का उल्लेख है कि किस वर्ष के खसरे में विवादित भूमियां औकाफ विभाग की हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश के पैरा 3 (8) में खसरा प्रविष्टियां दुरस्त करने की

अधिकारिता होने के संबंध में संहिता की धारा 32 एवं 50 का जोउल्लेख किया है वह भी विधिसम्मत नहीं है क्योंकि खसरा प्रविष्टियों को शुद्ध करने की अधिकारिता कलेक्टर को नहीं है । खसरा प्रविष्टियां शुद्ध करने की अधिकारिता संहिता की धारा 115 एवं 116 के तहत तहसीलदार को है ।

8/ आलोच्य आदेश के अवलोकन से यह भी पाया जाता है कि कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में विवादित भूमिस्वामियों को पक्षकार बनाए प्रविष्टियां हटाए जाने के संबंध में निष्कर्ष निकाला गया है, जो त्रुटिपूर्ण है क्योंकि हितबद्ध व्यक्ति को पक्षकार बनाए बिना, सुनवाई का अवसर दिए बिना उसके विरूद्ध अंतिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता । न्यायदृष्टांत 2011 आर0एन0 273 में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि –

'' किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व हितबद्ध व्यक्ति को कोई सूचनापत्र जारी नहीं किया गया – नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया । इस न्यायदृष्टांत में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 50 (1) परंतुक (तीन) स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण – हितबद्ध व्यक्ति को सूचना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना – आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

9/ आवेदक अभिभाषक का यह तर्क भी उचित प्रतीत होता है कि, दिनांक बाबा गणेशदास के नाम पारित नामांतरण आदेश एवं दिनांक 12–7–66 को फूलसिंह एवं सिरवीर सिंह केतागण के पक्ष में पारित नामांतरण आदेश अपीलनीय आदेश है। संहिता की धारा 50(1) एवं (2) में किए गए संशोधन के अनुसार अपीलनीय आदेश के विरूद्ध कलेक्टर को स्वमेव निगरानी की शक्तियां नहीं हैं ।

10/ कलेक्टर के आदेश से यह भी स्पष्ट है कि उनके द्वारा काफी लंबे समय उपरांत स्वमेव पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है । इस संबंध में आवेदक की ओरसे उद्धरित न्यायदृष्टांत अवलोकनीय हैं । न्यायदृष्टांत 1998 (1) एम0पी0 डब्लू0एन0 नोट नम्बर 26 मोहम्मद कवि विरूद्ध फात्माबाई इब्राहिम में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

" धारा – 50 स्वमेव निगरानी अधिकारों का प्रयोग युक्तियुक्त अवधि में किया जाना चाहिए और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक वर्ष की अवधि को, किसी प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु युक्तियुक्त अवधि नहीं माना गया है ।

इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 की पूर्णपीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के अनेक न्यायदृष्टांतों का संदर्भ देते हुए 2010 (4) एम0पी0एल0जे0 178 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0शासन) में यह अभिनिर्धारित किया गया है –

'' म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की 20 धारा – 50 पुनरीक्षण प्राधिकारी की स्वप्रेरित शक्तियां – प्रयोग में लाना – पुनरीक्षणीय प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरित शक्तियों को प्रयोग में लाये जाने के लिए विधान में कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गई है, केवल इसलिए किसी भी समय इस शक्ति को प्रयोग में लाने के लिए पुनरीक्षणीय प्राधिकारी को असीमित अधिकार प्रदत्त नहीं होगा ।''

'' म0प्र0 भू–राजस्व संहिता (1959 की 20), धारा – 50 पुनरीक्षणीय प्राधिकारी की स्वप्रेरित शक्तियां – स्वप्रेरित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी आदेश पारित किए जाने स पहले जिस व्यक्ति के लिए ऐसी शक्तियों को प्रयोग में लाया जाना हो उस पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव का भी विचार किया जाना चाहिए । ''

'' म0प्र0 भू–राजस्व संहिता (1959 की 20), अध्याय ट, धारा – 50 – स्वप्रेरणा की शक्तियां – ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध स्वप्रेरणा की शक्ति को प्रयोग में लाना जिसे अपूरणीय हानि नहीं हुई है – आदेश/कार्यवाहियों में अवैधता, अनुचितता अथवा अनियमितता का पता चलने की तारीख से एक वर्ष तक की अवधि, सरकारी भूमि अथवा लोक हित के संरक्षण के लिए पुनरीक्षण की स्वप्रेरणा शक्ति को प्रयोग में लाने के लिए युक्तियुक्त अवधि होगी । ''

माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धान्त के प्रकाश में भी कलेक्टर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर, भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–8–14 निरस्त किया जाता है । प्रकरण कमांक निगरानी 2850–एक/14 (महिला पानकुंवर आदि म.प्र. राज्य आदि), निग. 2851–एक/14 (महिला सविता सिंह विरूद्ध म.प्र. राज्य आदि), निग. 2852–एक/14 (रामदत्त आदि विरूद्ध म.प्र. राज्य आदि), निग. 2853–एक/14 (महिला पप्पी देवी विरूद्ध म.प्र. राज्य आदि), निग. 2854–एक/14 (सुरेश कुमार विरूद्ध म.प्र. राज्य आदि), निग. 2856–एक/14 (सुनीता देवी विरूद्ध म.प्र. राज्य), निग. 2857–एक/14 (महिला शांतिबाई

विरूद्ध म.प्र. राज्य आदि), निग. 2858–एक/14 (महिला सुलेखा देवी म.प्र. राज्य आदि), निग. 2859–एक/14 (श्रीमती उषा व्यास विरूद्ध म.प्र. राज्य आदि), निग. 2860–एक/14 (तहसीलदार सिंह आदि विरूद्ध म.प्र. राज्य आदि), निग. 2861–एक/14 (महिला राज कुमारी आदि विरूद्ध म.प्र. राज्य आदि), निग. 2862–एक/14 (मायाराम विरूद्ध म.प्र. राज्य आदि), निग. 2863–एक/14 (रामरती आदि विरूद्ध म.प्र. राज्य) एवं निग. 2864–एक/14 (प्रदीप शर्मा विरूद्ध म.प्र. राज्य आदि), के तथ्य भी इस प्रकरण के समान हैं । अतः यह आदेश इन प्रकरणों में भी लागू होगा और इन प्रकरणों में पारित कलेक्टर के आदेश भी निरस्त किए जाते हैं तथा यह निगरानियां भी स्वीकार की जाती हैं । तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि राजस्व अभिलेखों में पूर्वस्थिति कायम की जाये ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर